19/9/51
DR - Recer

[redacted]

विषय :– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये लोक सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 में अधिकथित उपबन्धों के अनुसार राजस्थान सरकार निर्देश देती है कि विभिन्न राज्य सेवाओं एवं पदों में जो सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षण रिक्तियों का निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित रखा जाना चाहिए :–

सेवाओं का नाम	आरक्षित रखी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
1– समस्त राज्य सेवाएं एवं पद	12.5%
2– समस्त अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय	12.5%
3– चतुर्थ श्रेणी सेवाएं एवं पद	15.0%

2. जहां तक भर्ती का संबंध है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के संबंध में भर्ती के इसी प्रतिशत का अनुसरण किया जाये, जब तक कि सरकार द्वारा नियत किया गया अंतिम प्रतिशत प्राप्त नही हो जाये
3. किसी वर्ष विशेष में अनुसचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के पर्याप्त संख्या में अनुपलब्ध होने की दशा में रिक्तियों को आरखित रखने की आवश्यकता नही है तथा उन्हे सामान्य प्रकिया के अनुसार भर लिया जाना चाहिए, लेकिन वर्ष की कमी को पश्चातवर्ती में यदि अभ्यर्थी रिक्तियां हो, पूरा कर लिया जाये । दूसरे वर्ष में भी अध्यार्थियों द्वारा भर ली जायेगी और कीम के कारण, आरक्षण को एक वर्ष I से अधिक अग्रेनीत नही किया जायेगा ।
4. किसी भी पद के लिये विहित न्यूनतम अर्हताओं को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के किसी भी, अथ्यर्थी को लेने के लिये कम नही किया जायेगा ।
5. विभिन्न सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिये विहित अधिकतम आयु को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तीन वर्ष तक बढाया जा सकेगा
6. सभी विभागाध्यक्षें से अनुरोध किया जाता है कि वे वर्तमान में सरकारी सेवाओं में नियोजित किये गये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की संख्या के संबंध में

सूचना अपने संबंधित सचिव के माध्यम से संलग्न प्रोफार्मा में मुख्य सचिव को भेजे तथा उसकी एक प्रति निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण राजस्थान, जयपुर को सीधी ही भेज दे ।

7. यह देखे जाने के लिये, कि विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के अथ्यर्थियों की भर्ती सरकारी आदेशों के अनुसार की जा रही है, विभागाध्यक्ष भी भविष्य में प्रति वर्ष जनवरी के माह में संलग्न प्रपत्र (ख) में अन्तविष्ट सूचना, निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण, राजस्थान के लिये एक अतिरिक्त प्रति सहित, मुख्य सचिव को प्रस्तुत करे । विभागाध्यक्षों द्वारा सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग को रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों के चयन के लिये अपना आवेदन अग्रेषित करते समय अपरिहार्य रूप से उन पदो के प्रतिशत या संख्या का संकेत दिया जाना चाहिए, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को दी जानी है ।

8. विधि मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना एस.आर.ओ./385 तथा एस.आर.ओ./510 दिनांक क्रमश 10 अगस्त तथा 6 सितम्बर, 1950 में सूचीबद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों की सूचियां भी साथ में संलग्न है ।

(जी.ए.डी. आदेश एफ 25(42)जीए/ए/51) दिनांक 19.9.51